

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 06-03-19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹3,47,65,761/- (तीन करोड़ सैतालीस लाख पैसठ हजार सात सौ एकसठ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-12(7)ब दिनांक-12.06.18, 24(7)ब दिनांक-23.07.18, 27(7)ब दिनांक-05.09.18, 47(7)ब दिनांक-11.10.18, 69(7)ब दिनांक-28.12.18 एवं 80(7)ब दिनांक-08.01.19 के क्रम में संलग्न विवरणी अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹3,47,65,761/- (तीन करोड़ सैतालीस लाख पैसठ हजार सात सौ एकसठ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना एवं सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना / 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संकामक रोग कर्मचारी वर्ग / मोटर चालक/ मोटर बोट सारंग चालक/ अधीक्षण उप योजना के अन्य मदों के भुगतान हेतु संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में तुरत करेगे तथा उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेगे।

Q

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।
10. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव
रजा

ज्ञापांक : 101(7)9

पटना, दिनांक : 06-03-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव
रजा

38 जिला यथा पटना/भोजपुर/गोपालगंज/नवादा/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/बैशाही/गया/औरंगाबाद/भागलपुर/बाँका/पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)/प० चम्पारण(बेतिया)/शेखपुरा/किशनगंज/जमशेदपुर/कटिहार/पूर्वार्ध/खगड़िया/बक्सर/सारण(छपरा)/नालन्दा/रोहतास(भासाराम)/बेगूसराय/मधुबनी/सीवान/सहरसा/मधेपुरा/सीतामढ़ी/दरभंगा/सुपौल/अररिया/लखीसराय/कैमूर(भुमना)/मुंगेर/शिवहर/जहानाबाद/अरवल के सिविल सर्जन कार्यालय एवं सलमन चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अधीन 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संकामक रोग कर्मचारी वर्ग / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर चालक/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर बोट सारंग चालक/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अधीन अधीक्षण उपयोजना/सिविल सर्जन, भागलपुर के अधीन दंत इकाई/शैक्षणिक प्रशिक्षण योजना, पटना अन्तर्गत कर्मचारी एवं पदाधिकारी/अपर उपाधीक्षक-सह-साहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्था० सेवाएँ का वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन मत्ता मद एवं अन्य मदों के अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन मत्ता (01-03)	मकान मत्ता (01-04)	चिकित्सा मत्ता (01-06)	अन्य मत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	120000	9600	6000	12000	20400	168000	0	0	168000	50/4.2.19
2	क्षेत्रीय अपर निदेशक, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	230000	13800	9200	23000	57300	333300	0	0	333300	63/14.2.19
3	कटिहार	850000	68000	42500	85000	212500	1258000	0	10000	1268000	190/2.2.19
4	मुंगेर	3400000	272000	170000	306000	850000	4998000	0	0	4998000	282/6.2.19
5	पूर्वार्ध	720000	57600	36000	72000	170000	1055600	0	0	1055600	574/25.2.19
6	किशनगंज	200000	16000	12000	20000	50000	298000	0	0	298000	477/20.2.19
7	भोजपुर	670000	53600	33500	67000	167500	991600	0	0	991600	207/16.1.19
8	समस्तीपुर	6500000	520000	325000	585000	1625000	9555000	0	75000	9630000	334/6.2.19
9	बैशाही	600000	48000	30000	66000	150000	894000	0	0	894000	373/21.2.19
10	खगड़िया	4400000	264000	220000	440000	1100000	6424000	0	25000	6449000	258/7.12.18
11	लखीसराय	5600000	336000	280000	560000	1400000	8176000	0	0	8176000	239/14.2.19
12	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	115/31.1.19
13	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	58/10.1.19
14	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	44/7.1.19
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	4166/26.12.18
16	सारण(छपरा)	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	773/22.2.19
17	मोतिहारी	0	0	0	0	0	0	11096	0	11096	402/26.02.19
18	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	93165	93165	145/25.1.19
19	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	384/21.2.19
	कुल	23290000	1658600	1164200	2236000	5802700	34151500	11096	603165	34765761	

(तीन करोड़ सैतालीस लाख पैंसठ हजार सात सौ एकसठ) रु० मात्र

101(7)9
06-03-19

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	520013000	469375000	232900000	492665000	27348000
2	जीवन यापन भता (0002-01-03)	52001000	49023500	1658600	50682100	1318900
3	भकान किराया भता (0002-01-04)	74474000	72584750	1164200	73748950	725050
4	परिवहन भता (0002-01-05)	4112000	2005000	0	2005000	2107000
5	चिकित्सा भता (0002-01-06)	10260000	6998935	2236000	9234935	1025065
6	अन्य भता (0002-01-07)	38640000	30621850	5802700	36424550	2215450
7	ल्यौहार अग्रिम (0002-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	700000000	630609035	34151500	664760535	35239465
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	1000000	986758	11096	997854	2146
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	2500000	1891000	603165	2494165	5835
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	5000000	5000000	0	5000000	0
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	3000000	3000000	0	3000000	0
12	दूरभाष (0002-13-03)	300000	300000	0	300000	0
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	6550000	6550000	0	6550000	0
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	2000000	1995000	0	1995000	5000
15	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	300000	291000	0	291000	9000
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	1110000	1097000	0	1097000	13000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्ति (0002-21-01)	1500000	1500000	0	1500000	0
19	दवा भंडार (0002-21-02)	2400000	2400000	0	2400000	0
20	अनुरक्षण एवं भरभत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	संवित्ता सेवारत (0002-28-02)	2000000	2000000	0	2000000	0
22	मशीनें एवं उपस्कर (0002-52-01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	730162000	657619793	34765761	692385554	37776446

101(7)9

06-03-19

सरकार के विशेष सचिव

